

**AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED**  
HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER-305001


**No. AVVNL/CAO(Rev.)/Sr.AO (Rules)/F. 25/00 /D.23/2 Dated 29.7.10**

**ORDER**

**Sub:-** Reservation to Special Backward Classes.

In exercise of the powers conferred vide letter No. AVVNL/CAO/Rules/11/(13)/ D-505 dated 03.11.2001 (Order-11), the Managing Director, AVVNL, Ajmer is pleased to adopt the Department of Personnel(A-II), GoR's order No. F.7(8)/Karmik/Ka-2/08 dated 02.06.2010 (copy enclosed) regarding roster for Special Backward Classes.

By Order,




(M.K. Jain)

Chief Accounts Officer (Rev./Cont.)  
AVVNL, AJMER

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director (Technical), AVVNL, Ajmer.
2. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), AVVNL, \_\_\_\_\_.
3. The Chief Accounts Officer (Accounts / IA), AVVNL, Ajmer.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Zonal Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/Jhunjhunu.
6. The Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, \_\_\_\_\_.
7. The Superintending Engineer (RPPC), AVVNL, Jaipur.
8. The Superintending Engineer (Civil/Plan/MM/O&M/M&P/TW), AVVNL Ajmer /Bhilwara/ Nagaur/Udaipur/Chittorgarh/Banswara/Rajsamand /Jhunjhunu /Sikar with the request to circulate this order among division/Sub-division under his control.
9. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
10. The Addl. Superintendent of Police (vig.), AVVNL, Ajmer.
11. The TA to Managing Director, AVVNL, Ajmer.
12. Dy. Director of Personnel (AZ/UZ/JJZ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/Jhunjhunu
13. The Accounts Officer (O&M/IA/EA/Budget/W&M), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara / Nagaur / Udaipur / Chittorgarh/Banswara/Rajsamand/ Sikar/Jhunjhunu.
14. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, \_\_\_\_\_.
15. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
16. The P.A. To Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.

  
Sr. Accounts Officer (Rules)

राजस्थान सरकार

उर्ध्व विभाग,

वासन सचिवालय, जयपुर

पत्र-प्राप्ति क्रमांक: 6086

दिनांक: 8/6

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 7(0)कार्मिक/क-2/09

आदेश

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.5.2010 के तहत माओ उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा लम्बवत् (vertical) आरक्षण को 50 प्रतिशत तक विविधता (Reservation) बढ़ा दिए डी0 बी0 सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12310/2009 जो0 शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक: 12.11.09 और 04.11.09 को विचारा में रखा हुआ है। विशेष पिछड़ा वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में भर्तियाँ और दाखिलों में एक प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

विशेष पिछड़ा वर्ग को उक्तानुसार आरक्षण प्रदान करने हेतु समस्त विभागों को जयपुर में जारी परिपत्रादेश क्रमांक प. 15(24)कार्मिक/क-2/75 दिनांक 07.06.07 के साथ संलग्न उपावन्ध II में उम्मीदवार आरक्षण हेतु निर्धारित संस्था बिन्दु संख्या 09 का अनुसूची (I) को विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के लिए आरक्षित किया जाता है।

यह आदेश तब तक प्रभूत रहेगा जब तक कि माओ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0 बी0 सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12310/2009 जो0 शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में कोई और आदेश या विनिश्चय पारित नहीं किया जाता है।

आज्ञा से  
(खेमराज)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति0 मुख्य सचिव, महाप्रतिम राज्यपाल मा0दय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज. जयपुर
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विविध शासन सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर सहित।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/को0पुर
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।

san/noti.order/24

26/2010